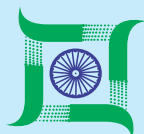




केवल जागरूकता के लिए



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

एवं

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए आकर्षक योजनाएँ

योजनाओं का लाभ उठाना है
जीवन में तरक्की पाना है

आगे बढ़ो मिलाओ हाथ
विकास हो सबका साथ-साथ



कहाँ सम्पर्क करें :

1. झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, डोरण्डा, राँची
(0651-2482392, 2482030) www.jhalsa.org, email : jhalsaranchi@gmail.com
2. झारखण्ड राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार
3. झारखण्ड एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, डोरण्डा, राँची
4. उद्योग विभाग, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची
5. मत्स्य विभाग, डोरण्डा, राँची
6. स्वास्थ्य विभाग, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

प्रकाशन वर्ष : 2015

यह पाठ्य-सामग्री झालसा के वेबसाइट (www.jhalsa.org) पर भी उपलब्ध है।

क्र० सं०	योजना का नाम		पात्रता		योजना का लाभ
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना	●	इस योजना का लाभ केवल बी.पी.एल. सूची में दर्ज व्यक्तियों को ही दिया जाता है।	●	600/- ₹0 प्रति माह की दर से 60-69 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के व्यक्ति को दी जाती है।
		●	ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 60-69 वर्ष के बीच है तथा जिनका नाम बी.पी.एल. सूची में अंकित है।	●	जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है को 700/- प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है।
2.	राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता योजना	●	बी.पी.एल. परिवार के मुखिया या मुख्य अर्जनकर्ता जिनकी मृत्यु 18-59 वर्ष के बीच होती है।	●	आश्रितों को एक मुश्त 20,000/- रुपये का लाभ इस योजना के अर्न्तगत मिलता है।
3.	आम आदमी बीमा योजना	●	ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया या मुख्य अर्जनकर्ता जिनकी मृत्यु 18-19 वर्ष के बीच हो बीमा किया जाता है।	●	बीमित व्यक्ति के स्वाभाविक मृत्यु होने पर 30,000/- रुपये की राशि उसके आश्रितों को दी जाती है।
				●	दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होन पर अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में उन्हें 75,000/- की दर से राशि दी जाती है।
				●	आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,000/- की राशि दी जाती है।
				●	दो बच्चों को जो कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं अथवा ITI में पढ़ते हैं 4 वर्ष के लिए 100/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।
				●	इस योजना के लिए बीमित व्यक्तियों को कोई राशि नहीं देनी होती है।
4.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	●	निर्बाधित बी.पी.एल., घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेण्डर, मनरेगा भवन निर्माण मजदूर, सफाईकर्म, टैक्सी रिक्सा ऑटो चालक, बीड़ी मजदूर, आदि।	●	योजनान्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होने पर वार्षिक 30,000/- तक का ईलाज निःशुल्क।
		●	मुखिया सहित पाँच सदस्यों को	●	लाभुकों के अस्पताल आने-जाने के लिए प्रति बार 100/- एवं अधिक तम वार्षिक 1000/- का भुगतान अस्पताल के द्वारा।
5.	हस्तकरघा बुनकर समग्र कल्याण योजना	●	यह योजना बुनकरों के लिए है और बुनकर ही इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।	●	इस योजना के तहत एक बुनकर परिवार के पति-पत्नी एवं दो बच्चों समेत कुल चार व्यक्तियों को बीमा का लाभ दिया जाता है। इसके अन्तर्गत 15,000/- ₹0 तक की राशि की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। जिसमें से मात्र 50/- ₹0 अनुदान के रूप में बुनकर को देना पड़ता है।

क्र० सं०	योजना का नाम		पात्रता		योजना का लाभ
6.	स्वास्थ्य बीमा योजना	- राज्य के सभी हस्तकरघा बुनकर जिनकी कुल आय का कम से कम 50% हस्तकरघा बुनाई से अर्जित करता हो। - भारत सरकार द्वारा निर्गत बुनकर पहचान पत्र/स्वास्थ्य बीमा कार्ड/उद्योग विभाग/झारक्राफ्ट द्वारा प्रमाणित हस्तकरघा बुनकर। - हस्तकरघा सहकारी समिति के नियमित सदस्य।	- बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत प्रति बुनकर परिवार को 15000/- रू० तक की वार्षिक स्वास्थ्य सुविधा निम्नवत् उपलब्ध करायी जाती है - 1. सभी पूर्वव्यापी बिमारियाँ एवं नई बिमारियाँ में-15000/- रू० 2. प्रसूति लाभ पहले दो बच्चों के लिए - 2500/- रू० 3. दन्त उपचार - 250/- रू० 4. नेत्र उपचार - 75/- रू० 5. चश्मा - 250/- रू० 6. अस्पताल में भर्ती इलाज - 4000/- रू० 7. आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/सिद्ध - 4000/- रू० 8. शिशु संरक्षण - 500/- रू० 9. ओ.पी.डी. - 7500/- रू०		
7.	महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना	- राज्य के सभी हस्तकरघा बुनकर जिनकी कुल आय का कम से कम 50% हस्तकरघा बुनाई से अर्जित होता हो। - भारत सरकार द्वारा निर्गत बुनकर पहचान पत्र/स्वास्थ्य बीमा कार्ड/उद्योग विभाग/झारक्राफ्ट द्वारा प्रमाणित हस्तकरघा बुनकर। - हस्तकरघा सहकारी समिति के नियमित सदस्य। 18 से 59 वर्ष से सभी हस्तकरघा बुनकर इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।	स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में - 60000/- रू० दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति/पूर्ण अपंगता की स्थिति में - 150000/- रू० दुर्घटना आंशिक अपंगता की स्थिति में - 75000/- रू०		
8.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण कार्यक्रम	योजना के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है, जो मछली पकड़ने, मछली पालने, मत्स्य बीज उत्पादन, प्रशिक्षण आदि मछली से जुड़े कार्यक्रमों में संलग्न हों तथा जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच हो।	- बीमित लाभुकों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रितों को मो. 2.00 लाख रू० का दावा विपत्र का भुगतान बीमा कम्पनी/फिशकोप्फेड, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। - बीमित लाभुकों की आकस्मिक दुर्घटना में पूर्ण स्थायी अपंगता होने पर भी उनके वैध आश्रितों/बीमित को मो० 2.00 लाख रू० का दावा विपत्र का भुगतान बीमा कम्पनी/फिशकोप्फेड, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। - बीमित लाभुकों की आकस्मिक दुर्घटना में आंशिक स्थायी अपंगता होने पर बीमित को मो० 1.00 लाख रू० का दावा विपत्र का भुगतान बीमा कम्पनी/फिशकोप्फेड, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। - बीमित लाभुकों की आकस्मिक दुर्घटना में मो० 10,000/- रू० का अस्पताल व्यय की भी अनुमान्यता इस वर्ष शुरू की गई है।		

क्र० सं०	योजना का नाम		पात्रता		योजना का लाभ	
9.	जनश्री बीमा योजना	●	निर्बाधित लाभुक	●	बोर्ड द्वारा LIC के सहयोग से सामुहिक बीमा योजना का लाभ, नोडल एजेन्सी के रूप में 100/- वार्षिक प्रीमियम राशि का भुगतान।	
				●	सामान्य मृत्यु दर पर - 30,000/-	
				●	दुर्घटना से मृत्यु - 75,000/-	
				●	दुर्घटना से स्थायी व पूर्ण अशक्तता होने पर - 75,000/-	
				●	दुर्घटना से दो आँखों या दो अंगों की हानि - 75,000/-	
				●	दुर्घटना से एक आँख या एक अंग की हानि - 37,500/-	
				●	शिक्षा सहयोग योजना में लाभुकों के कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा (I.T.I. कोर्स समेत) में अध्ययनरत दो बच्चों को रुपये 100/- प्रतिमाह की दर छात्रवृत्ति देय होगी।	
10.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना	●	निर्बाधित लाभुक एवं उसका परिवार	●	एक बीमारी हेतु लाभुकों को एक ही बार योजना का लाभ।	
		●	गंभीर बीमारी यथा कैंसर, हृदय रोग (शल्यक्रिया सहित), गुर्दा रोग (शल्यक्रिया सहित), असाध्य मानसिक रोग (शल्यक्रिया सहित) एड्स, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, स्पाइनल सर्जरी, मेजर वेस्कुलर डिजीज, बोन मैरो ट्रांसप्लान्ट, लीवर ट्रांसप्लान्ट, हेपाटोमा, एडवांस सिरोसिस ऑफ लीवर, रेटीनल डिटाचमेंट, प्रोलिफरेटिव ड्राईबेटिक रेटिनोपैथी, रेटीनल आर्टरी ऑक्लूजन, ईल्स डिजीज, मैकुलर होल से पीड़ित हों।			
		●	जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा के उपरांत योजनान्तर्गत लाभ देय होंगे।			
11.	मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना	●	निर्बाधित लाभुकों के बच्चों के लिए।	क्र. सं.	कक्षावार विवरण	योजना का लाभ
		●	लाभुकों के दो मेधावी संतानों के लिए।			छात्र छात्रा
		●	कक्षा एक (1) से पांचवीं (5) तक सभी श्रेणी के छात्रों को।	1.	कक्षा 1 से 5वीं तक (के सभी छात्रों को)	500/- 750/-

क्र० सं०	योजना का नाम		पात्रता		योजना का लाभ		
			● कक्षा 6वीं से उपर की कक्षा में प्रथम श्रेणी से अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण की हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश किया हो।	2.	कक्षा 6 से 8वीं	750/-	1000/-
				3.	कक्षा 9 से 12वीं	1000/-	1500/-
				4.	स्नातक कक्षा यथा बी०ए०, बी०एस०सी० बी०कॉम०, डिप्लोमा आदि	1500/-	2500/-
			● स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स में अध्ययनरत होने पर छात्रवृत्ति या संबंधित संस्थान की वास्तविक ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति, दोनों में से जो अधिक हो। साथ ही एक वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी।	5.	स्नातकोत्तर कक्षा यथा एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम., स्नातकोत्तर, डिप्लोमा इत्यादि	2500/-	3000/-
				6.	स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने पर (इंजीनियरिंग तथा मेडिकल छोड़कर)	3000/-	4000/-
				7.	इंजीनियरिंग तथा मेडिकल स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स में	10000/-	15000/-
12.	बाल श्रम शिक्षा प्रोत्साहन योजना	● NCLP विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चे।	● राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को प्रतिवर्ष एक जोड़ी, ड्रेस, स्कूल बैग, जूता-मोजा, बेल्ट, टाई, परिचय-पत्र, स्वेटर, रेनकोट एवं 100/- छात्रवृत्ति वितरण हेतु रुपये 1000/- प्रति बच्चे के लिए उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, एन.सी.एल.पी. को बोर्ड द्वारा राशि आवंटित की जाती है।				
13.	रोजगार प्रशिक्षण योजना	● निर्बाधित लाभुकों के परिवार के अधिकतम दो (पति/पत्नी तथा पुत्र/पुत्री) को उनकी इच्छा, योग्यता तथा स्थानीय स्तर पर व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की उपलब्धता के आधार पर।	● बोर्ड द्वारा लाभुकों के नियोजन हेतु वांछित कुशलता में वृद्धि के लिए भारत सरकार के MES योजना के अन्तर्गत झारखण्ड में उपलब्ध VTPs में अर्हताप्राप्त लाभुकों को प्रशिक्षण। प्रशिक्षा अवधि में अकुशल श्रेणी के कामगारों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों के लिए भोजनादि की व्यवस्था।				
			● झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित राँची एवं दुमका अवस्थित टूल रूम में 4 (चार) पाठ्यक्रमों-यथा (i) Fitter Technology, (ii) Welding Technology, (iii) Programming & Operation of CNC Lathe एवं (iv) Inspection and Quality Control में अर्हता प्राप्त लाभुकों को प्रशिक्षण की सुविधा।				
			● बोर्ड के द्वारा लाभुकों के कुशलता उन्नयन हेतु योजना आयोग के एक अंग C.I.D.C. के साथ MOU हस्ताक्षरित, जिसके तहत Masoin, Carpenter सहित 50 पाठ्यक्रमों में लाभुकों को अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था।				

क्र० सं०	योजना का नाम		पात्रता		योजना का लाभ
14.	जननी सुरक्षा योजना	●	सभी गर्भवती महिलाएं	●	सरकारी अस्पताल अथवा चुने हुये निजी अस्पताल (Private Accredited Hospital) में प्रसव कराने पर शहरी क्षेत्र में 1000/- रूपया एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1400/- का लाभ देय होगा।
			सभी गर्भवती महिलाएं जो BPL श्रेणी में आती है। जिनका प्रसव घर में SBA Trainded ANM द्वारा कराया गया है।	●	500/- रू० का लाभ देय होगा।
15.	चिकित्सा सहायता योजना	●	निर्बाधित श्रमिक	●	अकुशल श्रेणी के श्रमिक हेतु विहित दर पर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान।
		●	पाँच या उससे अधिक कार्यदिवसों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर।	●	अधिकतम 40 कार्यदिवस के समतुल्य भुगतान।
16.	विवाह सहायता योजना	●	निर्बाधित लाभुक	●	दो संतानों के विवाह हेतु 50000/- रूपये की सहायता।
		●	पाँच वर्षों तक लगातार अंशदान करने पर		
17.	निःशक्तता पेंशन	●	निर्बाधित लाभुक	●	निःशक्तता पेंशन-500 रूपये प्रतिमाह
		●	वैसे लाभुक जो कि पक्षाघात, कुष्ठ, यक्ष्मा, दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अशक्त हो।	●	अनुग्रह राशि - 10,000 एकमुस्त रूप में भुगतान।
18.	पारिवारिक पेंशन योजना	●	पेंशन भोगी की मृत्यु की अवस्था में परिवार के सदस्यों को	●	पेंशन का 50% या 300/- रूपया अधिकतम का भुगतान।
19.	अनाथ पेंशन	●	लाभुक / पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर	●	पेंशनभोगी के मृत्यु होने पर अनाथ पेंशन, परिवार पेंशन जैसे दर से देय होगा व 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच समान रूप से विभाजित होगा
20.	मातृत्व प्रसुविधा योजना	●	निर्बाधित महिला लाभुक	●	6 सप्ताह के अकुशल श्रमिकों के लिए देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान।
		●	प्रथम दो प्रसुतियों के लिए		
21.	राष्ट्रीय पेंशन योजना	●	निर्बाधित लाभुक	●	प्रति वर्ष लाभुक इस योजना में 1000/- रू० का निवेश बोर्ड द्वारा।
					लाभुक द्वारा कम से कम 1000/- व अधिकतम 12000/- के अंशदान पर भारत सरकार द्वारा भी 1000/- प्रति लाभुक प्रति वर्ष देय होगा।
22.	सिलाई मशीन सहायता योजना	●	निर्बाधित 35-60 वर्ष के आयुवर्ग की महिला श्रमिक	●	प्रशिक्षणोपरान्त सफल लाभुकों को पात्रता के अनुरूप सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ
		●	साइकिल सहायता योजना का लाभ नहीं लिया हो।		
		●	एक वर्ष से बोर्ड के सदस्य रहे हों तथा उन्होंने अगले वर्ष का अपना अंशदान जमा कर दिया हों।		

क्र० सं०	योजना का नाम	पात्रता	योजना का लाभ
23.	साइकिल सहायता योजना	- निर्बाधित महिला एवं पुरुष श्रमिक। - महिला लाभुकों के द्वारा सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ नहीं लिया हो। - एक वर्ष से बोर्ड के सदस्य रहे हों एवं उन्होंने अगले एक वर्ष का अंशदान जमा किया हो। - अन्य किसी योजना का साइकिल नहीं प्राप्त किया हो।	पात्रता के अनुरूप साइकिल सहायता योजना का लाभ।
24.	श्रमिक औजार सहायता योजना	- निर्बाधित श्रमिक - आयु 18 वर्ष से अधिक - निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक जैसे राजमिस्त्री,इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेन्टर, कुली, पेन्टर आदि प्रकार के ट्रेड के लाभुकों को योजना का लाभ देय होगा। - लाभुक द्वारा किसी अन्य ट्रेड के लिए औजार-किट प्राप्त नहीं किया गया हो। - निबंधन के उपरांत तीन माह के भीतर	पात्रता के अनुरूप औजार किट का लाभ
25.	सरस्वती योजना	- लाभार्थी के माता/पिता बोर्ड के निर्बाधित सदस्य हों। - लाभुक के दो बच्चों के परिवार में संस्थागत प्रसव से उत्पन्न प्रथम पुत्री या द्वितीय पुत्री अथवा दोनों प्रसवों से उत्पन्न बच्ची (अधिकतम दो बालिकाओं के लिए।) - जुड़वाँ प्रसव होने पर दोनों बालिकाओं के लिए मान्य। - जन्म के दो वर्ष के अंदर आवेदन देना अनिवार्य। अनाथ बालिका की स्थिति में जन्म के पाँच साल तक पंजीकरण मान्य। - मुख्यमंत्री लाडली योजना के अंतर्गत लाभान्वित लाभुक योजना के हकदार नहीं।	निर्बाधित लाभुकों के परिवार में संस्थागत प्रसव से उत्पन्न दो बालिकाओं को जन्म के वर्ष से लेकर लगातार पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष 5000/- ₹0 की दर से यानि कुल पाँच वर्षों में कुल 25,000/- ₹0 डाक जमा योजना में विनियोग

क्र० सं०	योजना का नाम	पात्रता	योजना का लाभ
26.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना	- निर्बाधित लाभुक एवं उसका परिवार - गंभीर बीमारी यथा हृदय रोग, कैंसर, गुर्दे की बीमारी, एड्स आदि से पीड़ित हों। - मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के साथ चिकित्सा हेतु अनुमोदित व्यय को चिकित्सक अस्पताल से प्रतिहस्ताक्षरित कर आवेदन।	से लाभ लेने के बाद शेष राशि का सम्पूर्ण चिकित्सीय व्यय (जिसमें अस्पताल में भर्ती तथा दवा का खर्च) का वहन बोर्ड के द्वारा।
27.	अंत्येष्टि सहायता योजना	निर्बाधित लाभुक	मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु 5000/- रुपये का भुगतान परिवार के सदस्यों को।
28.	पेंशन योजना	- निर्बाधित लाभुक - तीन वर्षों तक बोर्ड में अंशदान किया हो। 60 वर्ष की समप्ति पर	500/- रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में। - पाँच वर्ष पूर्ण होने पर प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए 25/- रुपये की वृद्धि होगी।
29.	अनाथ पेंशन	लाभुक/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर	पेंशनभोगी के मृत्यु होने पर अनाथ पेंशन, परिवार पेंशन जैसे दर से देय होगा व 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच समान रूप से विभाजित होगा।

भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्य में संलग्न निम्नांकित श्रेणी के श्रमिक

पत्थर काटने, तोड़ने व पिसने वाला, राजमिस्त्री या ईंटों पर रद्दा करने वाले, पुताई करने वाले, बढई, फिटर या बारबेंडर, सड़क के पाईप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मेकेनिक, कुँआ खोदने वाले, वेल्डिंग करने वाले, मुख्य मजदूर, मिक्सर मैन, लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले, कुँए से तलछट हटाने वाले, हथौड़ा चलाने वाले छप्पर डालने वाले, मिस्त्री, लोहार, लकड़ी चीड़ने वाले, कॉलकर, मिश्रण करने वाले, पम्प ऑपरेटर, मिक्सर चलाने वाले, रोलर चलाने वाले, बड़े यांत्रिक कार्य जैसे-मशीनरी, पूल का कार्य आदि में लगे खलासी, चौकीदार, मोजाईक पॉलिस करने वाले, सुरंग कर्मकार, संगमरमर/कड़प्पा पत्थर कर्मकार, सड़क कर्मकार चट्टान तोड़ने वाले, सन्निर्माण कार्य में जुड़े मिट्टी कार्य करने वाले, चूना बनाने की प्रक्रिया में लगा कर्मकार, बाढ़ नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार, बांध, पूल, सड़क या किसी भवन सन्निर्माण संक्रिया के नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार, पंडाल सन्निर्माण में लगे कर्मकार इत्यादि।

किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा मदद के लिए सम्बंधित विभाग के सक्षम पदाधिकारी या झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार न्याय सदन, डोरण्डा, राँची (0651-2482392) Web. : www.jhalsa.org, email : jhalsaranchi@gmail.com फ़ैक्स : 0651-2482397(जिला स्तर पर सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं ग्रामीण विधिक देखभल एवं सहायता केन्द्र) से सम्पर्क

सूचना : यह सामग्री केवल जन-जागरूकता के लिए है। किसी भी प्रकार का दावा करने से पूर्व मूल स्कीम द्रष्टव्य है।